लोकहित या लोकप्रिय

दुनिया में जहां जहां भी लोकतंत्र होता है वहां हर शासक के समक्ष यह संकट बना रहता है कि वह लोकहित और लोकप्रियता के बीच संतुलन कैसे बनाकर रखे। लोकहित के कार्य दीर्घकालिक अच्छे परिणाम देते हैं और तात्कालिक रूप से अप्रिय बना देते हैं दूसरी ओर लोकप्रिय कार्य तात्कालिक रूप से अच्छे परिणाम देते हैं भले हीं उनका दीर्घकाल में बुरा हीं प्रभाव क्यों न हो। तानाशाही में ऐसा खतरा नहीं रहता किंतु लोकतंत्र में तो होता हीं है। यह खतरा पश्चिमी देशों के लोकतंत्र में कम होता है क्योंकि वहां की सामान्य जीवनशैली में लोकतंत्र आ चुका है किंतु दक्षिण एशिया के उन देशों में ज्यादा है जहां लोकतंत्र शासन पद्धति तक आकर रूक जाता है। भारत भी उन देशों में मुख्य स्थान रखता है क्योंकि भारत में आधी शताब्दी से अधिक बीतने के बाद भी आज तक परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र की दिशा में कोई कदम बढ़ा नहीं, तथा शासन प्रणाली व्यक्ति पूजा से उपर नहीं उठ पाई। आज तक एक भी चुनाव शासन प्रणाली के गुण दोषों के आधार पर नहीं लडे गये। या तो गांधी नेहरू के नाम पर लडे गये अथवा प्याज टमाटर के नाम पर। वर्तमान चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हीं सम्पन्न हुए।

जब भी सत्ता संघर्ष का आधार वैचारिक न होकर भावनात्मक होता है तो उसका प्रभाव भी दीर्घकालिक न होकर क्षणिक हीं होता है। इन्दिरा जी के आपातकाल के बाद जो क्षणिक तूफान आया था वह ढाई वर्ष में हीं ताश के पत्तों के समान ढह गया। अभी अभी कुछ माह पूर्व हमने अरविंद केजरीवाल का उत्थान और पतन भी देखा है। अरविंद केजरीवाल के किसी भी आश्वासन में लेश मात्र भी दीर्घकालिक योजना का समावेश नहीं था। भ्रष्टाचार नियंत्रण, मंहगाई की रोकथाम, सस्ती बिजली सस्ता पानी जैसे लोकप्रिय शब्दों ने अरविंद जी की टीम को आश्चर्य जनक रूप से उपर उठाया था किंतु देढ़ महीने की सरकार ने हीं उन्हें इतना नीचे गिरा दिया कि दोनों घटनाऐं इतिहास बन गईं। अरविंद जी द्वारा की गई लोकप्रिय घोषणाओं के पूर्व मुझे स्वयं लगता था कि दिल्ली में वे दस सीट तक उठ सकेंगे। दिल्ली का नतीजा आने के बाद लक्षण दिखने लगे कि वे प्रधानमंत्री तक भी उपर जा सकते हैं। दोनों हीं संभावनाऐं गलत सिद्ध हुईं क्योंकि उनकी हर घोषणा में लोकप्रियता का संदेश छिपा हुआ था, लोकहित का नहीं।

ऐसा नहीं है कि अब ही भारत की राजनीति लोकहित को छोडकर लोकप्रियता को आधार बनाकर चल रही है। सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता पूर्व से हीं इसकी नींव पड़ चुकी थी। स्वतंत्रता से कुछ पहले हीं अंबेडकर, नेहरू और जिन्ना के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका था। जिन्ना ने पाकिस्तान बंटवा कर अपनी इच्छा पूरी की। अंबेडकर ने आदिवासी हरिजन के नाम पर देश विभाजन की असफल कोशिश की। गांधी ने अंबेडकर और जिन्ना को रोकने की अंतिम दम तक कोशिश की। अंबेडकर तो अंत में गांधी के समक्ष झुक गये किंतु जिन्ना नहीं माने और देश बंट गया। ऐतिहासिक तथ्य है कि सांप्रदायिकता सिर्फ कुचली हीं जा सकती है, कभी संतुष्ट नहीं की जा सकती। मुस्लिम सांप्रदायिकता ने देश की हत्या कर दी और हिंदू सांप्रदायिकता ने गांधी की हत्या करके संतोष कर लिया। उचित तो यह होता कि गांधी द्वारा अंबेडकर को रोककर देश के तीन भाग होने से बचाने के सफल प्रयत्न के लिए गांधी की प्रशंसा होती, किंतु सांप्रदायिकता कभी ऐसे उचित अनुचित के आधार पर अपनी प्राथमिकता तय नहीं करती। एक ने गांधी के शरीर की हत्या कर दी तो दूसरे को गांधी विचारों की हत्या करने की छूट मिल गई।

गांधी की हत्या होते हीं नेहरू और अंबेडकर अपने–अपने मिशन में लग गये। दुनिया का इतिहास गवाह है कि साम्यवादी शत प्रतिशत सिर्फ लोकप्रिय मुद्दे ही आगे रखते हैं। उन्हें न लोकहित की कभी चिन्ता रहती है न किसी प्रकार के चरित्र या आचरण का बंधन। समाजवादी हमेशा बीच में रहते हैं। वे लोकप्रियता के लिए आर्थिक आधार पर तो वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष की बात करते हैं किंतु सांप्रदायिकता अथवा जातीय कटुता को कभी नहीं उभारते। समाजवादी चरित्र या आचरण के बंधन भी स्वीकार करते हैं। अंबेडकर जी आर्थिक मुद्दों को छोडकर अन्य सभी जातीय सांप्रदायिक लैंगिक वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष को अपनी सफलता का मुख्य आधार बनाते रहे हैं। समाजवादियों को छोडकर किसी अन्य ने कभी जनहित की परवाह नहीं की चाहे अंबेडकर हो या नेहरू। दोनों लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते थे। नेहरू को गांधी जी की निकटता का लाभ मिला और

अंबेडकर लगातार पिछडते गये। नेहरू जी ने आंशिक रूप से साम्यवाद तथा घोषित रूप से समाजवाद का नाम लेकर लोहिया जयप्रकाश को तो पहली बार में हीं दौड से बाहर कर दिया तथा बाद में आदिवासी हरिजन आरक्षण तथा हिंदू कोड बिल पास कराकर अंबेडकर की भी हवा निकाल दी। इस तरह भारत की राजनिति में नेहरू निष्कंटक होकर लोंकप्रियता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने में सफल हुए भले हीं उनके किसी भी कार्य से लोकहित की दूर दूर तक गंध न आती हो।

सरदार पटेल की चर्चा के बिना यह विश्लेषण अधूरा हीं रहेगा। सरदार पटेल इन सबसे बिल्कुल भिन्न थे। सरदार पटेल एक उच्च चरित्रवान, राष्ट्रभक्त तथा छलकपट रहित व्यक्तित्व थे। सरदार पटेल गांधी जी के अधिकांश विचारों से असहमत थे। गांधी जी प्रशासनिक कार्यों में भी न्यूनतम बल प्रयोग के पक्षघर थे। सरदार पटेल इसे अव्यावहारिक मानते थे। यदि आज मूल्यांकन करें तो पटेल जी की सोच अधिक ठीक थी। यदि गांधी जी की प्रशासन में न्यूनतम बल प्रयोग की बात को शुरू से हीं अस्वीकार करके उचित बल प्रयोग की लाईन ली गई होती तो आज समाज में हिंसा के पक्ष में जो वातावरण बना हुआ है वह नहीं बनता। दूसरी ओर गांधी जी राजनैतिक तथा आर्थिक सत्ता के अधिकतम अकेद्रीयकरण के पक्षधर थे जो सरदार पटेल नहीं थे। यदि गांधी की बात मान ली गई होती तो आज भ्रष्टाचार दिखता हीं नहीं। सरदार पटेल सीमित मताधिकार के पक्षधर थे और गांधी या नेहरू बालिग मताधिकार के। पटेल जी मुस्लिम तुष्टिकरण के भी विरूद्ध थे जबकि गांधी जी एक रणनीति के अंतर्गत सीमित तुष्टिकरण के पक्षधर थे और नेहरू पूरी तरह मुस्लिम तुष्टिकरण के पक्षधर थे। इस संबंध में भी यदि गांधी जी की राह पर चला जाता तो अधिक अच्छा होता। इन सब विरोधाभाषों के होते हुए भी पटेल जी गांधी जी की हर बात का असहमत होते हुए भी अनुकरण करते थे। जबकि नेहरू सहमत होते हुए भी गांधी की नीतियों को असफल करते रहते थे। अंबेडकर गांधी जी की लोकप्रियता के डर से दब जाते थे। सरदार पटेल सक्षम होते हुए भी प्रधानमंत्री के लिए दौड से बाहर रहे। नेहरू उस दौड में मरते तक रहे तथा मरने के बाद का भी तानाबाना बुन कर गये। अंबेडकर अक्षम होते हुए भी जीवन भर उस पद के लिए तिकडम करते रहे।

गांधी हत्या के बाद सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया। सरदार पटेल यह भी जानते थे कि गांधी हत्या की योजना में संघ के लोगों का कोई हाथ नहीं है साथ हीं उन्हें यह भी पता था कि गांधी हत्या के पक्ष में वातावरण बनाने में जो विचारधारा सबसे उपर थी वह पूरी तरह संघ से मेल खाती थी। संघ के लोगों ने संघ पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए राजनीति से दूर रहने का जो वचन पटेल जी को दिया उस वचन को आधार बनाकर तथा प्रतिबंध हटाकर सरदार पटेल ने संघ से धोखा खाया अथवा पटेल जी की ऐसी ईच्छा थी यह न कभी स्पष्ट हुआ न होगा। किंतु संघ न कभी पहले राजनीति से दूर था न बाद में। अब तो वह झीना पर्दा भी हट चुका है। संघ ने पटेल को दिया वचन तब तक निभाया जब तक पटेल जीवित रहे। उनके मरने के दो चार माह बाद हीं संघ ने जनसंघ की स्थापना करके राजनीति शुरू कर दी।

नेहरू लाईन पर चलकर देश तो मजबूत हुआ किंतु समाज रसातल में चला गया। वर्ग समन्वय को सदा के लिए पाताल तक गाडकर वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष के लिए नये नये अवसर पैदा किए गये। वर्ग संघर्ष के विस्तार का लांछन पटेल को छोडकर बाकी दोनो नेहरू और अंबेडकर पर समान रूप से है। अंबेडकर तो वर्ग संघर्ष के प्रारंभ से हीं पक्षधर रहे किंतु नेहरू ने यह मार्ग क्यों पकडा यह समझ में नहीं आया। किंतु यह सत्य है कि नेहरू अपने जीवित रहते तक तथा बाद में अपने वंशजों को भी लोकप्रियता के लिए वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष को सरलतम मार्ग बताकर गये जिस आधार पर आज तक उनके वंशज कार्यरत् हैं।

अब इतने वर्षों बाद नरेंद्र मोदी को व्यवस्था परिवर्तन का जिम्मा मिला है। मोदी जी स्वशासन की ओर भूलकर भी नहीं देखेंगे यह निश्चित है किंतु मोदी जी के कार्यक्रम में सुशासन दिखने की संभावना है। उम्मीद दिखती है कि मोदी जी लोकप्रिय कदमों से दूरी बनाकर लोकहित के कदम उठाऐंगे। मोदी जी ने ऐसा कोई आभाष नहीं दिया कि वे मंहगाई और भ्रष्टाचार दूर करने का नाटक शुरू करेंगे। मोदी जी ने वर्ग विद्वेष बढाने के भी किसी कदम को प्राथमिकता नहीं दी है। मोदी जी ने यह स्वीकार करने में कोई किंतु परंतु नहीं की है कि अर्थनीति तथा विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा।

मोदी जी ने पहले कदम के रूप में हिंदी को बढाने का संकेत दिया जो कि स्वागत योग्य है। मोदी जी ने बालिग होने की उम्र घटाने तथा परिवारवाद या भाई भतीजावाद के विरूद्ध भी पहल की जो स्वागत योग्य है। चुनाव के पूर्व मोदी जी ने जिस भ्रष्टाचार और मंहगाई को मुद्दा बनाया था उसे किनारे करके उन्होनें अच्छा किया क्योंकि मंहगाई तो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक असत्य प्रचार है तथा भ्रष्टाचार नीतियों में बदलाव होने से हीं दूर होना संभव है। मोदी जी ने मंदिर मस्जिद जैसे बेकार मुद्दे को भी किनारे करके समान नागरिक संहिता को आगे किया यह स्वागत योग्य है। मोदी जी ने धीरे धीरे पदलोलुप नेताओं को भी किनारे करने में सफलता पा ली है। अब तक के मोदी जी के सभी कदम सोच समझकर योजनापूर्वक उठाये गये दिखते हैं।

मोदी जी लोकप्रियता का लालच छोडकर लोकहित की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं किंतु मोदी जी की असली परीक्षा तो अभी बाकी है। संघ परिवार को इस बात का घमंड है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सिर्फ उसी की मुख्य भूमिका है। स्पष्ट दिखता है कि मोदी जी के आने के बाद यू.पी. को छोडकर शेष भारत का मुसलमान देश के संसाधनों पर अपना पहला हक मानने से पीछे हटकर समान मानने की ओर बढ़ रहा है। किंतु कुछ दिनों से यह भी आभाष होने लगा है कि मुसलमानों कें इस समानता के कदम को कुछ हिंदू अपनी विजय के रूप में स्थापित करने की मूर्खता कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की उठती मांग के पीछे कितना संघ का दिमाग है और कितना व्यक्तिगत यह अब तक यह स्पष्ट नहीं है किंतु मोदी जी को सतर्क हो जाना चाहिए। भारत का हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं रहा है। उसे तो समान व्यवहार से हीं पूरा संतोष है। भारत के हिंदुओं ने गोलबंद होकर संघ के पक्ष में मतदान नहीं किया है, बल्कि मुस्लिम सांप्रदायिकता से परेशान होकर उसने यह मत परिवर्तन किया है। मोदी जी को बहुत सावधानी से ऐसी खतरनाक मांगों पर विचार रखना होगा। हिंदुओं कें इस मत को हिंदु तुष्टिकरण मानने की भूल तो संघ भी नहीं करेगा और यदि संघ ने ऐसी भूल की तो मोदी जी को ऐसे किसी सांप्रदायिक तुष्टिकरण से बचने का मार्ग भी निकालना होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी इस परीक्षा में खरे उतरेंगे।

1. श्री पंथ राम वर्मा, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड, दुर्ग, छत्तीसगढ़ 22681

प्रश्न– आपके द्वारा प्रेषित ज्ञानतत्व पत्रिका निरंतर आ रही है। उनमें अनेक विचार ग्राह्य हैं तो कुछ विचार अग्राह्य भी। आपने व्यवस्था परिवर्तन को सभी बीमारियों की रामबाण दवा माना है। पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी मतदान प्रणाली को साधन माना है, जब कि मतदान प्रणाली हीं दोष पूर्ण हो गयी है जिसका दिग्दर्शन आपकों भी चुनाव के समय होता रहता है।

आज की प्रजातांत्रिक प्रणाली ने भारत हीं नहीं वरन् दुनिया भर में अपनी धाक जमा ली है, और उसका आधार बना है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जिसे भगवान बुद्ध का वचन भी माना गया है। इस वचन में ' अल्प जन दुखाय' की भावना छिपी हुई है। विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि यह वाक्य 'एक जन हिताय'एक जन सुखाय' की प्रतिक्रिया स्वरूप आया है, क्योंकि यह राजतंत्र पूंजीवादी प्रथा का द्योतक था। इसमें 'बहुजन दुखाय था'' तो फिर बहुजनों ने राज्य क्रांति की और राजाओं, पूंजीपतियों का विनाश किया। इसके बाद राजतंत्र से प्रजातंत्र आ गया तो सोचा गया कि हम कौन सी पद्धति से शासन करें, तब इन्होनें निर्णय किया कि हम 'बहुजन हिताय'बहुजन सुखाय'' को आधार बनायेंगें। तब लगा होगा कि दो चार लोग विरोधी हैं तो रहने दो, उनकी अवहेलना की गई , और यही अल्पजन 100 में से 49 पर आ गये क्योंकि अल्पमत हमेशा बहुमत बनाने के जुगाड में जमा रहता है, समय पाकर 51 में से 2 को खींचकर सत्तासीन हों जाता है। ताजा उदाहरण झारखंड में मधुकोडा का जो निर्दलीय भी था को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना है, भले हीं आज जेल में हो, विषय अलग है। विनोबा जी ने भी संकेत दिया था कि 49 प्रतिशत् हैं तथा 51 प्रतिशत्!100 का मान है, केंद्र सरकार भी एक वोट से गिरी थी छोटे छोटे प्रदेशों यथा गोवा, अरूणांचल प्रदेश, मणिपुर आदि में भी 5 वर्षों में 5 बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। आपने भी इसी प्रणाली को आधार माना है। एक जन हिताय में' बहुजन दुखाय लुप्तप्राय था, बहुजन हिताय में अल्प जन दुखाय लुप्तप्राय है। और इसी कांटे को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका पानी जहाज से सन् 1909 में जाते समय एक छोटी सी पुस्तक 'हिंदस्वराज'' लिखी थी। उसमें वे कहते हैं 'ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो सभी देशों की पार्लियामेंट की

माता कहलाती है, वह बांझ और वेश्या है'' भगवान करे यह पद्धति भारत में लागू न हो, उन्होनें इसलिये कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर लोक सेवक संघ बनाने को कहा था, पर यह नहीं हो सका।

पार्टी याने पार्ट होता है पार्ट याने टुकडा। टुकडा टुकडा देश हो गया किसे सुनाये दुखडा सारांश यही कि न हमें एक जन हिताय चाहिए, न बहुजन हिताय चाहिए, हमें चाहिए' सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय'' यही सर्वोदय यानि सबका उदय है, वसुधैव कुटुम्बकम है। यह विचार बीज दुनिया में शांति लाने का महामंत्र है।

आप मृत व्यक्तियों के विचारों को काल वाह्य मानते हैं लेकिन सर्वसम्मति, सर्वानुमति कभी कालवाह्य नहीं हो सकती। आप सर्व सम्मति को काल वाह्य समझ सकते हैं, यही तो मेरे देश की उलझन है, जहां दो विद्वान एकमत नहीं हो सकते।

शायद 13 जून तक जंतर मंतर में आपने धरना प्रदर्शन आहूत किया है, मुझे धरना शब्द अच्छा नहीं लगता, वैचारिक गोष्ठी या सत्याग्रह जैसे नाम दे सकते थे, परिणाम ज्ञानतत्व में आएगा।

सरकार नई बन गई है, पर यह पुरानी है, वहीं मंहगाई आदि का रोना है सरकार यथा स्थिति में है कुछ पैदा नहीं होता इसलिये बांझ है। जो समस्या (मंहगाई) आज अंतर्राष्ट्रीय हो गयी है उसे एक राष्ट्र कुछ नहीं कर सका है। 5 वर्ष में लोग (मतदाता) सरकारें बदलते रहते हैं, पर उनको यह पता नहीं है कि ईंटा वैसा हीं बनेगा क्योंकि सांचा (व्यवस्था) पुराना है। व्यक्ति बदलने से ईंटों का स्वरूप नहीं बदलेगा। हां तो आइए , इन चुनाव प्रणालियों को तौबा करिये और सर्व सम्मति से पंचायत से लेकर केंद्र तक सरकार बनाने में साधन का जुगाड कैसे हो, पर विचार कीजिये।

आपने हमेशा नेहरू खानदान पर आरोप लगाया है कि वे अपने हीं वंशज का शासन येन केन चलाते रहे हैं। मुझे लगता है कि एक व्यापारी के लडके को व्यापारी, बढई के लडके को बढई, डॉक्टर के लडके को डॉक्टर क्यों नहीं होना चाहिए। फिर यहां खानदानी सिस्टम तो है नहीं चुनाव होता है, क्यों जनता उन्हें चुनती है। चुनाव में हराना चाहिए, इसलिए मेरी राय में यह कोई दोष नहीं है। देश में कई परिवार ऐसे हैं।

मेरी उम्र अक्टूबर 14 में 90 वर्ष पूर्ण होगा, घर बैठे विचार, चिंतन (चिंता नहीं) चलता है। कुछ लिखा प्रकाशन योग्य मानें तो पत्रिका में जाहिर कर सकते हैं।

उत्तर– 1. आपने सर्व सम्मति से शासन चलाने की आवश्यकता बतायी है।

2. धरना शब्द अच्छा नहीं लगता ऐसा लिखा है।

3. वर्तमान सरकार उसी पुराने रास्ते पर चल रही है।

4. वंश परंपरा का समर्थन किया है।

मैं मानता हूं कि सर्वसम्मति आदर्श स्थिति है। गांव से लेकर सरकार तक सर्वसम्मति की बात आकर्षक हैः किंतु क्या यह सम्भव है कि हम पहले परिवार व्यवस्था में सर्व सम्मति का प्रयोग करें। अभी तक भारत की जो परिवार व्यवस्था है उसमें परिवार के सबसे बडे को स्वाभाविक प्रमुख मान लिया जाता है, तथा जब तक वह पूरी तरह असफल न हो जाये, तब तक वही स्वाभाविक प्रमुख रहता है। इससे एक लाभ है कि परिवारों में चुनाव की बीमारी नहीं घुसती, साथ हीं एक हानि भी है कि यदि कोई अन्य सदस्य परिवार में घुटन महसूस करता है तो उसके समक्ष परिवार से अलग होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। मैं स्वयं देख रहा हूं कि लगातार परिवार टूटते जा रहे हैं। जिसका परिणाम दिखता है कि सर्वसम्मति में यदि गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं होगी तो घुटन बढेगी जिसका परिणाम होगा टूटन। मैंनें तो अपने प्रस्तावित संविधान में यहां तक लिखा है कि परिवार से लेकर राष्ट्र तक किसी भी तरह के चुनाव में यदि सर्वसम्मति भी हो तो वहां गुप्त मतदान अवश्य होगा, भले हीं एक हीं उम्मीदवार क्यों न हो। मैं जानता हूं कि गांधी और विनोबा सर्वसम्मति के प्रबल पक्षधर रहे। सर्वोदय, जो उनके विचारों के

आधार पर चलने वाली एकमात्र संस्था है, उसके भी अपने आंतरिक चुनावों में धीरे– धीरे घुटन और टूटन इस सीमा तक बढी कि अब लगातार चुनावों की दिशा में जा रही है। क्या यह अच्छा होता कि सर्वसम्मति के बाद भी गुप्त मतदान कराकर सर्व सम्मति या सर्वस्वीकृति के अंतर को समझ लेते और यदि ऐसा होता तो सर्वोदय इस तरह टूटन की दिशा में नहीं बढ़ता। आवश्यक नहीं है कि मृत महापुरूषों के विचार अंतिम सत्य मानकर बिना समीक्षा किये स्वीकार कर लिया जाये। सच्चाई यह है कि महापुरूषों ने भी पिछले महापुरूषों के विचारों को उसी तरह आगे बढाने की अपेक्षा समीक्षा करके उसमें कुछ जोडनें की पहल की तभी तो वे महापुरूष बन सकें। आवश्यक नहीं है कि अब भविष्य में कोई महापुरूष नहीं होगा।

1. यह धरना उन धरनों से भिन्न हैं जो अब तक होते आये हैं। यह धरना सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं था, न कोई नारे बाजी थी न कोई विरोध प्रदर्शन और न हीं सरकार से मांग पत्र। यह धरना संसदीय लोकतंत्र को असफल मानकर सहभागी लोकतंत्र की दिशा में जनता के ध्यानाकर्षण के लिए था। कुल चार मांगें थीं– 1. परिवार, गांव, जिला को संवैधानिक अधिकार दिये जायें। 2. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने के अधिकार की व्यवस्था हो। 3. संसद के संविधान संशोधन के असीम अधिकारों को सीमित करके लोक संसद की व्यवस्था करना। 4. प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रूपया प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह का जीवन भत्ता देना। इन मांगों की दस दिनों तक व्यापक विवेचना हुई तथा प्रश्नोत्तर भी हुए। बताया गया है कि हमारा उद्‌देश्य परिवार, गांव, जिले को अपनी आंतरिक संसद बनाने की स्वतंत्रता देना है। जिसका अर्थ है कि प्रत्येक ईकाई को अपने आंतरिक मामलों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इसका अर्थ हुआ कि परिवारों के संबंध में भी अब तक संसद ने जो कानून बनाये हैं वै सब कानून अपने आप समाप्त हो जायेंगे। ऐसे समाप्त होने वाले कानूनों में हिंदू कोड़ बिल सरीखा कलंकित कानून भी शामिल है। ऐसे कानूनों में वह कानून भी शामिल है जिनमें गांवों को उन्तीस अधिकार प्रदान करने की संवैधानिक व्यवस्था को भी रोक कर रखा गया है। इसी तरह लोक संसद की भी व्याख्या की गई जिसका अर्थ होगा कि जनता द्वारा वर्तमान पद्धति के आधार पर हीं 543 लोगों को निर्दलीय आधार पर चुनना। यही लोक संसद वर्तमान संसद के साथ मिलकर संविधान संशोधन कर सकेगी। जीवन भत्तों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया कि सरकार जीवन भत्ते के साथ ग्रामीण गरीब श्रमजीवी छोटे किसान के उत्पादन तथा उपयोग की सभी वस्तुओं को कर मुक्त कर दें। बदले में सरकार सब प्रकार की दी जाने वाली सब्सीडी बंद कर दे, साथ हीं साथ कम से कम आधी निचली आबादी को दो हजार रूपया देने के लिए कम पडने वाला बजट कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि कर से पूरा कर ले। बताया गया कि भारत के तैंतीस प्रतिशत सम्पन्न लोग अपने आय व्यय में सत्तर प्रतिशत कृत्रिम उर्जा का प्रयोग करते हैं तथा शारीरिक श्रम एक दो प्रतिशत, दूसरी ओर निचला तैंतीस प्रतिशत तबका दो चार प्रतिशत कृत्रिम उर्जा का उपयोग करता है तथा सत्तर अस्सी प्रतिशत तक शारीरिक श्रम का। यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हो जाए तो श्रम का मूल्य बढेगा, श्रम की मांग बढेगी, श्रम की बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तथा श्रम बुद्धि और धन के बीच दूरी घट जायेगी। इस योजना से गोबर गैस, सौर उर्जा, जठरोपा जैसे पारम्परिक उर्जा उत्पादन बढेगा तथा विदेशों से आयातित डीजल, पेट्रोल की मात्रा घट जाएगी। इस योजना से देश में उत्पादन भी बहुत बढेगा क्योकि एक तरफ तो उद्योगों को पूरी बिजली मिल जायेगी, दूसरी ओर श्रम के द्वारा भी उत्पादन बढाने में सहयोग होगा। विशेष बात तो यह भी होगी कि इससे आवागमन मंहगा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होगी। गांव सशक्त होगे तो शहरों पर से आबादी का बोझ भी हट जायेगा। यह बात भी बतायी गयी कि इस योजना का उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग जो सस्ते मजदूर चाहता है तथा कृत्रिम उर्जा पर जिंदा है वह पूरी तरह विरोध करेगा। हम निचले तबके को उपर के तबके से संघर्ष कराने के पक्षधर नहीं हैं। बल्कि हम तो चाहते हैं कि उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग के कुछ लोग इस बात को समझ कर आगे आवें जिससे वर्ग समन्वय बना रहे।

धरने के बाद तय हुआ कि धरना देने वाली टीम के लोग सात अक्टूबर से सात दिसम्बर तक पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों में जाकर बैठक लेंगे तथा उसके बाद योजना बनाकर शेष भारत में जायेंगे।

3. यह सच है कि सरकार बदली है व्यवस्था नहीं बदली है। यही कारण है कि कुछ बातों को छोडकर अधिकांश बातें न बदली हैं न बदलेंगी। यदि मुंह से खाना है तो मुंह के अलावा कहीं और से खाया नहीं जा सकेगा। फिर भी कुछ

बातें बदलने की संभावना दिख रही है जिनमें से प्रमुख बात यह है कि परिवारवाद पर गंभीर चोट लग रही है। इसी तरह समान नागरिक संहिता भी लागू होने की संभावना बढ़ गई है तथा भारत के संपूर्ण संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार जैसी सांप्रदायिक बातें भी कालवाह्य हो गयीं। पडोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के प्रयास भी शुरू हुए हैं। संभव है कि कुछ और भी अच्छाई सामने आवे। मैं मानता हूं कि हिंदू सांप्रदायिक तर्कों के उभार के प्रति हमें अधिक सतर्कता दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरह हिंदुओं को सरसठ वर्षों तक अपमान झेलना पडा है उसका लाभ उठाकर कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व बदला लेने का प्रयास करेंगे। हमें उससे बचना होगा और यह सिद्ध करना होगा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं बल्कि हम तो सांप्रदायिक सदभाव के पक्षधर हैं।

4. मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे बुद्धिजीवी नें किसी वंश परंपरा का समर्थन किया है। वंश परंपरा परिवार से लेकर राष्ट्र तक कोई अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में तो ऐसा मानना बिल्कुल हीं उचित नहीं है। नेहरू परिवार जनता के द्वारा योग्यता के आधार पर चुना गया अथवा उसनें एक गिरोह बनाकर भारतीय संविधान में भी मनमाने संशोधन किए तथा भारत को एक प्रकार से अघोषित गुलामी में रखा, यह आप विचार करें। यदि किसी परिवार के पेट से हीं योग्य व्यक्ति का जन्म होना शाश्वत नियम है तो ऐसे नियम को अस्वीकार करना हीं होगा, भले हीं वह नियम भगवान का हीं बनाया हुआ क्यों न हो। मैं जानता हूं कि कई हजार वर्षों तक इस नियम को मानकर हीं सवर्णों ने श्रमजीवियों तथा अवर्णों के साथ अमानवीय भेदभाव किया हैं। गांधी ने भी ऐसे भेदभाव का जीवन भर विरोध किया है। मैं समझता हूं कि आपको ऐसे विचारों पर फिर से सोचना चाहिए।

2/1. चितरंजन भारती, पंचग्राम, असम ज्ञान तत्व 115

ज्ञान तत्व मिला। विविधता और भारतीय सफलता में अनेक जटिलताऐं हैं और इसी विविधता में एकता और जटिलता में सरलताऐं भी हैं। मूल बात उन तत्वों और निष्कर्षों तक पहुंचने की है। खेद है कि अनेक लोग सिर्फ पत्ते और फल देखते हैं। जबकि उन्हें जडों तक जाना चाहिए।

इस मामले में आपने त्याग– तपस्या और श्रम के बदौलत कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इनसे एकबारगी तो सहमत होना कठिन हो जाता है। फिर सवाल है– समाधान का। इसलिए इन निष्कर्षों को देखना और उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान हीं भारतीय समाज के लिए सार्थक होंगे।

आपके निष्कर्षों की कटु आलोचना अंक 291 में है, जिसका उत्तर आपने दिया है। ऐसा लगता है कि कुछ विद्वान लोग पूर्व के अंकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं करते। इसलिए उनके मन में आशंकाऐं घुमडती रहती हैं। आपके कुछ जवाब तो काफी तीखे और तिलमिलाने वाले होते हैं। दरअसल भारतीय समाज में समूह भावना की कमी है। मीठा–मीठा गप्प, कडवा–कडवा थू की भावना तो है ही। सभी को एक अवतार चाहिए जो सभी समस्याओं को छू–मंतर कर दे। वैसे भी बडी समस्याऐ ंतो हैं हीं और भागमभाग, समयाभाव के इस युग में बमुश्किल कोई केजरीवाल बन पाता है। ध्यान दें अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, राहुल गांधी शादीशुदा नहीं हैं। स्वाभाविक हीं वे समाज को ज्यादा समय दें।

2/2. गंगा प्रसाद गुप्ता, सागर मध्य प्रदेश ज्ञान तत्व 44213

मैं गांधीजी के लोकस्वराज्य का पक्षधर हूं, तथा पाया कि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य भी गांधी मार्ग की ओर ही अग्रसर है।'विषस्य विष औषधम्'' । वर्तमान पार्लियामेंट्री में राजनिति एक विष बन चुकी है। लोकस्वराज्य के लिए और इस विष रूपी पार्लियामेंट्री संविधान की दवा भी उसी विष से दूर होगी। मैं डॉ हेनीमेन का उदाहरण दूं जब वह अंग्रेजी से जर्मन भाषा में मटेरिया मेंडिका अनुवाद कर रहे थे तो मलेरिया की दवा सिनकोना मिली जिसका उन्होनें अपने उपर हीं अनुप्रयोग किया और पाया कि एक स्वस्थ मनुष्य यदि इसका अपने उपर प्रयोग करता है तो सभी लक्षण मलेरिया के प्रकट हो जाते हैं और उसी दवा से मलेरिया का रोगी स्वस्थ हो जाता है। वह एलोपैथी में एम.डी. होते हुए होम्योपैथी का इजहार किया। ठीक उसी रास्ते पर केजरीवाल जी चल चुके हैं और वह विष भी उसी से दूर होगा। प्रतीक्षा हीं नहीं हमें हर मूल्य में उसे सहयोग प्रदान करना भी पडेगा। 16 वीं लोकसभा चुनाव एकतरफा हुआ–

एक तरफ मीडिया द्वारा 24 घंटे मोदी का प्रचार कर पूरी हवा बनाई जाकर उसके झोंके से सभी ढह गये किंतु उम्मीद नहीं है कि लोकस्वराज्य का उससे लाभ होगा। भ्रष्टाचार व अपराध तेजी से बढ़ रहा है चाहे बी.जे.पी. का शासन हो या अन्य का। किंतु लोकस्वराज्य कभी नहीं ला पायेगे। इसी से दलीय राजनैतिक विष का शमन ।।च से संभव है। संत विनोबा भावे ने अपनी किताब लोकनीति में राजनीति के बदले लोकनीति को स्थान दिया है। लिखा है कि संकीर्ण अर्थ में राजनीति और सत्ता के बचाव के लिए हीं सेना रखी जाती है। नामघोष में राजनीति सक्षम शास्त्र है यानि राक्षसों का शास्त्र और यह राजनीति खत्म होगी तभी दुनिया बचेगी। उन्होने लिखा है कि जमाने की मांग है कि समाज राजनीति से मुक्त हो भले हीं एक विश्वयुद्ध और हो जाये।

आम आदमी का यही ध्येय है कि हम सत्ता की राजनीति करने नहीं आये हैं। हम समाज के लिए व्यवस्था परिवर्तन करने आगे बढें हैं ताकि अपराधों और घेार व्याप्त भ्रष्टाचार का शमन् हो सके।

मैं पूर्णरूपेण विश्वास व्यक्त करता हूं कि केजरीवाल हीं इसके प्रतिरूप है।

उत्तर– मैं भी मानता हूं कि संसदीय लोकतंत्र तानाशाही का एक अस्थायी पडाव मात्र हैं, समाधान या मंजिल नहीं। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र अथवा लोकस्वराज्य की दिशा में जाना चाहिए था किंतु व्यवस्थापकों नें स्वार्थ वश संसदीय लोकतंत्र को हीं अपनी मंजिल बताकर समाज को ठग लिया। जे.पी. ने यथार्थ बताने की कोशिश की किंतु नेताओं ने उन्हें भी ठग लिया। फिर पिछले वर्ष अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर यह दिशा शुरू की। अन्ना जी भी ठगे गये लगता है। अभी अंतिम रूप से तो यह घोषित करना निश्चित नहीं है कि अरविंद जी अन्य नेताओं की दिशा में चले गये हैं किंतु मुझे संदेह हो रहा है। मुझे अरविंद जी की ईमानदारी पर अभी भी कोई संदेह नहीं है। किंतु जिस तरह से उन्होनें 13 जून से 22 जून तक के लोकस्वराज्य कार्यक्रम का बहिष्कार किया इससे इस संदेह की पुष्टि हुई। यदि सहभागी लोकतंत्र की दिशा में कोई अन्य समूह भी आगे बढ़ता है और अरविंद जी को यह विश्वास है कि उक्त संगठन का इस मांग के पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है तो किसी अन्य संगठन के साथ भी लोकस्वराज्य के साथ तालमेल करना आपकी विश्वसनीयता को बढायेगा। उस समय यह तालमेल और अधिक आवश्यक हो जाता है जब वह संगठन भी आपके कार्यक्रमों को निरंतर सहयोग देता रहा हो। यहां तक कि अराजनैतिक संगठन होते हुए भी पिछले लोकसभा चुनावों में व्यवस्थापक से जुडे लोगों ने अरविंद जी की पूरी–पूरी मदद की थी। मैं यह नहीं कह सकता कि सच्चाई क्या है किंतु मुझे विश्वास है कि राजनैतिक जोड–तोड की व्यवस्था ने उन्हें मजबूर किया होगा। यह भी संभव है कि मेरी ओर से उन्हें दी गई सलाह ना पसंद आयी हो। विदित हो कि मैंने उन्हें सलाह दी थी कि अरविंद जी अपने साथियों से सलाह करके अपने अट्ठाईस विधायकों को दलबदल विधेयक से एक पक्षीय रूप से मुक्त कर दें। अर्थात् जो विधायक जहां जाना चाहे, या बिकना चाहे उसे अपनी ओर से अथवा कानून की ओर से भी कोई बाधा नहीं रहेगी। इससे संभव है कि अरविंद जी के विपक्ष की सरकार बन जाती। किंतु यह निश्चित है कि अगले चुनावों में अरविंद जी को बहुत लाभ होता। जब अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तब मैंने चर्चा में एक सलाह दी थी कि वे पहले कदम के रूप में यह प्रस्ताव पास कर दें कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भविष्य में मुख्य व्यवस्थापक कहा जायेगा तथा मंत्री या मंत्रिमंडल व्यवस्थापक मंडल के सदस्य। मुझे अब भी विश्वास है कि यदि यह बात मान ली जाती तो लोकस्वराज्य की दिशा में एक कदम तो बढ़ता हीं साथ हीं अरविंद जी की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ जाती, फिर भी इन सब बातों के होते हुए भी मैं अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों को कुछ समय तक और देखने का पक्षधर हूँ।

3/1. प्रो. नानूराम लबाना, 208 द्वारिकापुरी इन्दौर 452009

प्रश्न– ज्ञानतत्व के 294 अंक का उत्तरार्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित लगा। एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता था कि अंग्रेज हमारा आर्थिक दोहन, शोषण कर रहे थे और हमारे शासक और व्यापारी उनके पिछलग्गू बन गये थे, तो फिर स्वामी विवेकानंद इस तथ्य को कैसे नकार सकते थे? वे उस समय के शासकों की गुलामी की विवशता को जानते थे। वर्तमान शासकों की तुलना अंगेजों और मुगलों के शासन काल से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था और स्वाभिमान शून्य था। ऐसे समय में वे राजाओं को कैसे अंगेजों का मुकाबला करने को कह

सकते थे, फिर तो एक के बाद एक सभी राजा हीं मारे जाते। राजाओं की एकता के अभाव में हीं तो देश मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। पश्चिम भौतिकवाद में और भारत आध्यात्म में आगे था और रहेगा, इसको तो स्वीकारना हीं पडेगा। स्वामी जी असुरों को कभी आध्यात्म की शिक्षा नहीं देना चाहते थे उन्होंने तो कमजोर होना सबसे बडा पाप बताया था और फिर उतिष्ठत, जागृत, प्राप्यवरान निषोधम'' का उद्घोष कर देश के स्वाभिमान को जगाया था तभी तो क्रांतिकारी पैदा हुए थे और क्रांतिकारियों के बलिदान ने जनजागृति पैदा की और फिर स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वामी जी ने देश के स्वाभिमान को जगाया था, जिससे अंग्रेजों की जडें खोखली हुई और गांधी जी को आजादी का श्रेय मिला किंतु देश की आजादी के मूल में तो स्वामी विवेकानंद हीं थे।

डॉ. हेडगेवार एक बार जेल गये थे इससे स्पष्ट होता है कि वे अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, किंतु उन्होनें यह भी समझ लिया था कि देश तो एक दिन आजाद हो जायेगा, किंतु भविष्य में देश के लिए जीने वालों की आवश्यकता होगी, इसी कल्पना में उन्होनें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर देश सेवा का अद्भुत कार्य किया। लोकेषणा से दूर डॉ. हेडगेवार भविष्य दृष्टा थे, उनकों तो भारत रत्न मिलना चाहिए था।

3/2. मो0 शफी आजाद बारांबकी, उत्तर प्रदेश7979

ज्ञानतत्व अंक 294 प्राप्त हुआ, धन्यवाद्। इस अंक में आचार्य पंकज जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि 1.स्वामी जी ने पश्चिम से एक रणनति के अंतर्गत समझौता किया हो। 2. स्वामी जी विचारक नहीं थे,। वे बौद्धिक चिंतन के प्रति समर्पित प्रचारक थे,। देश उनके प्रचार का सदैव ऋणी रहेगा। 3. इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में स्वामी जी की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता शून्य है। 4. देश में स्वामी विवेकानंद जी को महिमा मंडित करने का काम योजना पूर्वक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया,। संघ की भी स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता शून्य है। 5. मूर्ति पूजकों द्वारा तलाश शुरू हुई एक ऐसे सन्यासी की जो वेद का क ख भले न जानता हो मूर्ति पूजा में उसकी निष्ठा हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने स्वामी दयानंद जी के समानान्तर स्वामी विवेकानंद जी को स्थापित करने का काम पूरी शक्ति से किया, आदि। पंकज जी ने यह भी लिखा है कि ''स्वामी जी का कोई भक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के विरूद्ध तथा आजादी की लडाई के समर्थन में स्वामी जी का वक्तव्य लेख और कर्म का उदाहरण दे सके तो मैं भक्त का सदैव ऋणी रहूंगा। स्वामी जी ने स्वतंत्रता के प्रति अपने सन्यासियों/ आमजनों को क्या संदेश दिया इस संबंध में स्वामी जी की कविता का अंश आचार्य पंकज जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

ऊँ तत् सत् ओम्।।

तोडो जंजीरें जिनसे जकडे हैं पैर तुम्हारे

वे सोने की हैं तो क्या, कसने में तुमको हारे?

अनुराग, घृणा, संघर्षण, उत्तम व अधम विवेचन

इस द्वंद्व भाव को त्यागो, है त्याज्य उभय आलम्बन!!

आदर गुलाम पाये या कोडों की मारें खाये

वह सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक लगाये।

स्वातंत्र्य किसे कहते हैं वह जान नहीं है पाता।

स्वाधीन सौरस्य जीवन का उसकी न समझ में आता।

त्यागो सन्यासी त्यागो तुम द्वंद्व भाव को सत्वर

तोडो श्रृंखला को तोडो, गाओ यह गान निरंतर।।

ऊँ तत् सत् ओम्।।

मेरा अपना विचार है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज सौर मण्डल के वह चमकते सितारें हैं जिन पर मानव जाति को गर्व है। उन पर किसी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करना, दोषारोंपण करना निरर्थक प्रयास है। आचार्य पंकज जी को शोभा नहीं देता। भारत देश व भारत का युवा वर्ग महिला हो या पुरूष स्वामी जी का सदैव ऋणी रहेगा। सन्यासी व आम जन के लिए मशाल–ए–राह बनकर काम करेगा।

कृपया आचार्य पंकज जी को भी मेरा पत्र अवलोकनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

उत्तर– आपने जो कविता लिखी वह स्वामी विवेकानंद जी की जिस पुस्तक से ली गई है उसका नाम आपने विवेकानंद जी की पुस्तक ज्ञान योग पृष्ठ 268 से 273 के बीच लिखा। प्रकाशक स्वामी प्रम्मषानंद रामकृष्ण मठ नागपुर 440012। वैसे संघ के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान संबंधी आचार्य जी के कथन से मैं भी सहमत हूं। शेष विवेकानंद जी के विषय में वे हीं स्पष्ट करेंगे।

4/1. श्री जगदीश गांधी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

इस्लाम शब्द अरबी भाषा का है। इस्लाम का अर्थ है, इताअत करना, शरण लेना, अपने–आपको ईश्वर की मर्जी पर पूरी तरह से छोड देना चाहिए। इस्लाम शब्द जिस मूल धातु से बना है उसका अर्थ है– शान्ति। इस्लाम धर्म को मानने वाले जब एक– दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैः अस्सलामओअलेकुम जिसका अर्थ होता है– आपको शांति मिले। इस्लाम धर्म के मूल में भी सत्य, भाईचारा और करूणा की वही त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, जो विश्व के अन्य धर्मों के मूल में है। एक अल्लाह को मानना, सबसे भाईचारा बरतना, पसीने की कमाई खाना, सदाचार का पालन करना– यह है इस्लाम के रसूल हजरत मोहम्मद साहब का आदेश।

इस्लाम की मान्यता है कि सच्चा मुसलमान वही है जो 1. अल्लाह की शिक्षा पर ईमान लावे। 2. माने कि सारी श्रृष्टि को बनाने वाला अल्लाह एक हीं है 3. संपूर्ण मानव जाति को मिल जुल कर रहना चाहिए। 4. सारे विश्व में शांति के लिए उसे एकता की डोर में बांधना चाहिए। 5. ईस्लाम धर्म की मूल भावना मानव कल्याण है।

4/2. श्री कमर वहीद नकवी, विस्फोट डाट काम 24.07.2014

विचार– भारत के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसे कठमुल्लाओं का अनुकरण करना पडता है जो स्वयं सामाजिक चिंतन से दूर हैं अन्यथा कोई कारण नहीं है कि तीन हजार कि.मी. दूर ईरान ईराक के आपसी टकराव से भारत का मुसलमान प्रत्यक्ष प्रभावित हो।

पुनरोत्थानवादी कट्टरपंथी ईस्लाम के कुछ डरावने, जहरीले, शर्मनाक नमूने हम पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देख चुके हैं। बमियान बुद्ध की एतिहासिक धरोहर को तहस नहस करने से लेकर एक मासूम बच्ची मलाला युसूफजई पर कातिलाना हमले तक मनुष्य विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, समानता विरोधी और प्रगति विरोधी इस सोच ने इन देशों में आतंक और खौफ का साम्राज्य स्थापित कर रखा है। यह सब तालिबान और अलकायदा के नापाक गठजोड की देन है। लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बहुत डरने की बात नहीं थी, क्योंकि भारत न अल कायदा के नक्शे पर था और न तालिबान के। लेकिन आईएसआईएस और अबू बकर बगदादी अपने अभियान को सिर्फ ईराक और सीरिया को मिलाकर इस्लामी राज्य बनाने तक हीं सीमित नहीं रखना चाहते थे, वह पूरी दुनिया में कट्टरपंथी 'इस्लामी खिलाफत'' का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए अब तालिबान और अलकायदा उसके आगे बौने हैं।

वैसे तो ईराक की कोई भी लडाई हमेशा हीं भारतीय मुसलमानों के लिए संवेदनशील मसला बन जाती है। वहां शिया मुसलमानों के पवित्र स्थल हैं और आबादी सुन्नी बहुल है। इसलिए ईराक में इन दोनों समुदायों के बीच सत्ता के समीकरण बदलने, किसी तनाव के पसरने और किसी गृहयुद्ध जैसी स्थिति होते हीं भारत में शिया सुन्नियों के बीच भावनाओं का पारा चढ़ने लगता है। इस बार भी यही हो रहा है। पहले तो शिया नौजवानों ने मुहिम छेडी कि वे शिया धर्मस्थलों को बचाने और आइएसआइएस के खिलाफ जंग के लिए ईराक जाना चाहते हैं। और फिर खबर आयी कि मुंबई के कुछ लडके ईराक में आइएसआइएस की तरफ से जिहाद लडने जा पहुंचे हैं। खुफिया एजेंसियों के लिए यह डरावनी खबर है। क्या सच में आइएसआइएस ने अपने खूनी पंजे भारत में फैला लिये हैं? अगर हां तो कहां कहां? किन किन राज्यों में? इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे? अभी तक तो लश्कर–ए–तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हीं भारत के मुस्लिम युवाओं को अपनी घिनौनी साज़िशों का निशाना बना रही थी। लेकिन उनका मकसद फिर भी मामूली हीं था। यानि भारत में आतंकवाद की कुछ छोटी बडी वारदातें करते कराते रहना। लेकिन अबू बकर अल बगदादी के ईरादे तो कहीं अधिक भयानक हैं। भारत को उसने दुश्मन घोषित किया है।''इस्लामी खिलाफत'' का विस्तार वह यहां तक करना चाहता है।

दुनिया भर में भी और भारत में भी कई प्रमुख मुस्लिम उलेमाओं ने बगदादी की 'इस्लामी खिलाफत'' को वाहियात और बकवास कह कर खारिज कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में कुछ कठमुल्लों की बंद अक्ल के ताले नहीं खुल सके हैं। प्रमुख सुन्नी उलेमा मौलाना सलमान नदवी ने बगदादी को खत लिखकर खलीफा मान लिया है। उधर दूसरी तरफ प्रमुख शिया मौलाना आगा रूही बडे गर्व से एक न्यूज चैनल पर बता रहे थे कि उनका बेटा ईराक में आइएसआइएस के विरूद्ध युद्ध कर रहा है। नासमझी की हद है। जंग ईराक में हों रही है। आप देश में शिया– सुन्नियों को बरगलाने में लगे हुए हैं। माना कि शिया मुसलमानों की भावनाऐं ईराक से गहरे से जुडी हैं, लेकिन ऐसे नाजुक क्षणों में उनकों सबको संयम की सीख देनी चाहिए थी। लेकिन इसके बजाय वह बेटे की गाथा गाकर लोगों को कुरबानी देने के लिए उकसा रहे हैं! और उधर नदवी साहब को यह अहसास हीं नहीं है कि बगदादी के खौफनाक खेल के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। मौलाना के बयान के बाद जो मुस्लिम नौजवान बगदादी के झांसे में फंसेंगे, उनकी और उनके परिवार की जिन्दगियां बरबाद होने का जिम्मेदार कौन होगा?

लेकिन ईराक को लेकर सिर्फ मुसलमानों की भावनाऐं भडकने का हीं खतरा नहीं है। यहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव फैलाने वाले संघ परिवार के तोपचियों की कला के कई नमूने हमनें पिछले चुनावों में देखे हैं। अब अभी आग में ताजा ताजा घी छिडका है विश्व हिंदू परिषद् के अशोक सिंहल ने। उनका बयान आया है कि चुनाव में बीजेपी की भारी जीत मुस्लिम राजनीति के लिए बडा झटका है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी आदर्श स्वयंसेवक हैं और वह हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करके दिखाऐंगे। उनका कहना है कि अब बाजी पलट चुकी है। मुसलमान अब आम नागरिक की तरह देखे जायेंगे, न ज्यादा न कम! और उन्हें हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें अयोध्या, काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और समान नागरिक संहिता को स्वीकार कर लेना चाहिए।

वैसे तो सिंहल साहब ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन मौजूदा माहौल में ऐसे बयान देकर वह क्या हांसिल करना चाहते हैं। इराक और फिलस्तीन की घटनाओं से जब आम मुसलमान व्यथित हो तो संयम और मरहम की बजाय ऐसे भटकाउ बयान देकर वह क्या संदेश देना चाहते हैं। यह सही है कि अयोध्या, काशी और मथुरा से हिंदुओं की भावनाऐं जुडी हैं, लेकिन ये सभी विवाद कानून के रास्ते से हल हो हीं सकते हैं। हां समय लग सकता है, लगेगा भी। तो कुछ साल इंतजार कर लेने में क्या हर्ज है। अगले कुछ वर्षों में कोई न कोई फैसला आ हीं जायेगा। और जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है, तो मैं भी और सारे प्रगतिशील लोग पूरी तरह से इसके पक्षधर हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसके लिए सही माहौल बनाने की कोशिश की गई, ताकि इस पर कोई सही समझ बन सके। ऐसे नाजुक मसले कभी भडकाउ नारों और धमकियों से हल नहीं होते।

मुस्लिम उलेमाओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये, संघ परिवार के कुछ तत्वों का अतिरेक, देश के पुलिस तंत्रों और मुसलमानों के बीच अविश्वास की खाई– इन सबको एक साथ मिलाकर तस्वीर बनाइए और देखिये कि क्या दिखता है?

उत्तर– हिंदू को छोडकर अन्य जिन संगठनों ने स्वयं को धर्म कहना शुरू किया उन सबका दुहरा चरित्र है 1. दूसरों को बताने के लिए 2. दूसरों के साथ व्यवहार के लिए। पहले प्रकार की चर्चा में गुण प्रधान बातें भरी रहती हैं तो दूसरे में संगठन प्रधान। संगठन प्रधान धर्म संख्या विस्तार को अधिक महत्व देते हैं तथा गुण विस्तार को कम। ऐसे संगठनों में हीं इस्लाम शामिल है तथा संघ परिवार भी। आपने भारत के मुसलमानों को जो सलाह दी वह ठीक है। क्योंकि यदि ईराक या फिलस्तीन का झगडा नहीं रूका तो मुसलमानों को बहुत नुकसान करेगा।

मैं प्रवीण तोगडिया या अशोक सिंहल को हिंदू नहीं मानता क्योंकि उन्होनें धार्मिक हिंदुत्व को छोडकर संगठनात्मक हिंदुत्व का मार्ग पकड लिया है। फिर भी सिंहल जी ने जो कहा उसमें हिंदू राष्ट्र की बात छोडकर गलत क्या है? मैं भी मानता हूं कि मोदी की जीत से मुसलमानों का घमण्ड टूटा है कि वे जिसे चाहेगे वही जीतेगा। उसी तरह यदि सिंहल जी ने कहा कि मुसलमान अब आम आदमी की तरह देखे जायेंगें, न ज्यादा न कम तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने सलाह दी है कि मुसलमानों को हिंदूओं के तीन धर्म स्थान छोड देने चाहिए। यह भी तो एक सलाह मात्र है। सिंहल जी ने समान नागरिकता की बात कही है यह भी गलत नहीं। आपका कथन है कि समान नागरिक संहिता के लिए उचित माहौल बने। मैं आपका आशय नहीं समझा। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून बने इसके लिए किसी को समझाना क्यों जरूरी है। यदि सरसठ वर्ष तक आप नहीं समझे तो क्यों न अब ऐसा लागू कर दें।

मैं मानता हूं कि आप प्रगतिशील हैं किंतु 67 वर्षों तक समान नागरिक संहिता के लिए आप नें क्या प्रयत्न किये यह अभी तक कहीं नहीं दिखा।

समान नागरिक संहिता में सभी व्यक्तियों के साथ सरकार का समान व्यवहार होगा। किसी के साथ धर्म जाति भाषा क्षेत्रीयता लिंग आदि के आधार पर कोई भेद नहीं किया जायेगा। इसका सीधा अर्थ है कि हिंदू राष्ट्र अथवा गोहत्या बंदी जैसे कोई कानून सरकार नहीं बना सकेगी। इसका यह भी अर्थ हुआ कि महिलाओं को कानूनी रूप से समान अधिकार हीं होगा, विशेष नहीं। सरकार किसी भी पिछडे व्यक्ति को अतिरिक्त सुविधा तो दे सकती है किंतु अधिकार नहीं। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आदिवासी हरिजन के भी विशेषाधिकार समाप्त हो जायेंगे। आप बताइए कि सरकार इस संबंध में किसी से क्यों पूछे कि हम आपके साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे न अधिक न कम। मेरे विचार में अशोक सिंहल अब तक तो सिर्फ एकपक्षीय बातें हीं कहीं हैं। पहली बार उन्होंने कुछ अकल की बात कही है। दूसरी ओर आप हमेशा हीं संतुलित लिखते रहे। पहली बार आपने कुछ पक्ष लिया है।

जगदीश गांधी जी ने ईस्लाम का अर्थ शांति बताया है जो मुझे नहीं मालूम। किंतु सारी दुनिया के इस्लामिक या गैर इस्लामिक देशों को अशान्त करने वाले मुसलमान क्या मुसलमान नहीं हैं? मैं नहीं समझा कि वे क्या हैं। असलाम अलेकुम सिर्फ मुसलमान मुसलमान को हीं कहता है। गैर मुसलमानों को वह आदाब अर्ज कहता है। यह अन्तर क्यों हैं।

अल्लाह ने क्या कहा और हजरत मुहम्मद ने क्या कहा वह मुझे नहीं मालूम। न हीं मैं वह जानना चाहता हूं। मैं तो पूरी दुनिया में और विशेषकर भारत में मुसलमानों के बहुमत का जो आचरण दूसरों के प्रति देख रहा हूं वह चिंता जनक हैं। सिख, मुसलमान और संघ परिवार अलग–अलग संगठन हैं। यदि आपस में मरने कटनें पर उतारू हों तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। किंतु सहारनपुर में जो कुछ हुआ उसकी पहल क्या सिर्फ मुसलमानों ने नहीं की? सहारनपुर के संबंध में डी.आई.जी. एन रविंद्र ने बताया है कि पकडे गए अभियुक्तों ने लूटे गए माल के बारे में अहम जानकारी दी है। दंगाइयों द्वारा लूटी और आगजनी में फूंकी गई संपत्ति का मूल्य एक अरब तक होने का अनुमान है। गिरफ्तार किए गए मुख्य अभियुक्त का नाम मोहर्रम अली पप्पू है। वह थाना मंडी की कमेला

कालौनी की पीर वाली गली नंबर दो का निवासी है और इस वार्ड से चार बार सभासद रह चुका है। पुलिस ने उसके पुत्र दानिश अली और भतीजे मोहम्मद इरशद व मोहम्मद शहीद को भी गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इस दंगे में मुख्य भूमिका निभाने वाले हाजी इरफान ;पुत्र इमरान निवासी गली नंबर एक पीरवालीद को भी धर दबोचा। सभी छह अभियुक्तों को रासुका में भी निरूद्ध किया गया। इनके खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 149, 302, 307, 332, 353, 436, 495 व 336 और सात क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए।

डीआइजी ने बताया कि दंगाइयों में मुख्य रूप से चिन्हित पूर्व सभासद मसूद कुरैशी की गिरफ्तारी होनी शेष है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई है।

पुलिस के मुताबिक मुख्य अभियुक्त श्री गुरूद्वारा गुरू सिंह सभा के पदाधिकारियों से विवाद निपटाने के लिये पूर्व में लाखों रूपये ले चुका है और वर्तमान में करीब 30 लाख रूपए की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर इन लोगों ने गुरूद्वारे के पास की मस्जिद शहीद किए जाने की अफवाह फैलाकर मुसलमानों के एक तबके को बरगलाकर शहर में दंगा कराया। जिसमें दो मुस्लिमों समेत तीन लोगों की जान चली गई और 35 लोग घायल हो गए। एक अरब की संपत्ति लूट ली गई या आग लगाकर नष्ट कर दी।

गिरफ्तार पूर्व सभासद मोहर्रम अली पप्पू लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के प्रयासों से कांग्रेस में शामिल हुआ था। वह गांधी पार्क की राहुल गांधी की चुनावी सभा में मंच पर मौजूद था। अपनी गिरफ्तारी के बाद मोहर्रम अली ने पुलिस को बताया कि वह कांग्रेसी है और इमरान मसूद का खास है। राहुल गांधी की रैली के दिन इमरान मसूद को आपत्तिजनक बयान देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। मै सोचता हूॅं कि सहारनपुर की घटना के बाद ऐसा महसूस होता है कि आमतौर पर मुसलमान चौबीसो घंटे बिना सोचे समझे धार्मिक उन्माद के परिणामस्वरूप दंगा करने को तैयार बैठा रहता है। कुछ गुंडों ने अफवाह फैला दी और इतना बडा दंगा हो गया इसमें मुख्य विचार आम मुसलमानों को करने का है कि वे हर समय हिंसा के लिए तैयार क्यों बैठे रहते हैं। क्यों नहीं कुछ मुसलमान ऐसे तैयार बैठे मुसलमानों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या मुलायम सिंह की सरकार अजर अमर है? सहारनपुर की घटना सोचने को विवश करती है। यदि आप मरने मारने पर हीं उतारू हैं तो आप अपने निर्णय पर दुबारा गौर करिये।

अभी पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है। वहां मुहम्मद साहब के विरूद्ध कुछ बोलने के लिए फांसी का दण्ड है। क्या ऐसा कानून बनाने और समर्थन करने वाले मुसलमान नहीं। अभी अभी ईराक के किसी धर्म गुरू ने महिलाओं के संबंध में कोई फतवा जारी किया है। मैं नहीं मानता कि वे मुसलमान नहीं। यदि पाकिस्तान में कानून बनाकर अहमदिया को मुसलमान के बाहर कर दिया गया तो क्यों नहीं इस्लाम ने आज तक ईराक के अबू बकर अल बगदादी तथा उसके समर्थकों को इस्लाम के बाहर कर दिया? क्या अहमदिया मुसलमानों का आचरण बगदादी की अपेक्षा ज्यादा खराब था? अब बदली हुई परिस्थितियों में मुख्य रूप से विचार करने की पहल मुस्लिम विचारकों को करनी चाहिए क्योंकि इक्के दुक्के सिंहल सरीखे लोग अब भी हिंदु बहुमत को समझाने में नाकाम हैं। जबकि इक्के दुक्के सांप्रदायिक मुसलमान आसानी से आम मुसलमानों को भडका देते हैं। इस्लाम की अच्छाईयों का प्रचार करने के साथ उनकी बुराईयों पर विचार करना होगा तभी किसी विषय की वैचारिक समीक्षा संभव है।

5 मुकेश कुमार'ऋषि वर्मा'' ग्राम रिहावली, पोस्ट तरौली गुजर, फतेहाबाद, आगरा (उ.प्र.) 283111

प्रश्न– मई 2014 अन्तिम अंक (11) में आपने अंबेडकर के बारे में जो लिखा है। वह पूर्णतः सत्य है। कृपया करके पं0 जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कुछ लिखें। कुल मिलाकर आपका कार्य तारीफ के योग्य है।

उत्तर– पं0 नेहरू की संक्षिप्त समालोचना इस अंक के अग्रलेख में हैं। विस्तृत समीक्षा कभी और जाएगी।

6 पं0 रमेश कुमार धर्मजीत मिश्र ''स्वामी मानस बंधु''

प्रश्न– अच्छे दिन आने वाले हैं। वह दिन आ गये। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बन गये। अब भारत के हित में इन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। आप अपने पत्र ज्ञानतत्व के माध्यम से अवगत करायें। आपके पी.एम. के बारे में क्या सुझाव हैं।

उत्तर– इस अंक के अग लेख में मोदी मोदी जी की भी संक्षिप्त समीक्षा है। पढने के बाद आप कुछ और जानना चाहेंगे तो लिखियेगा।

7/1 डॉ0 लक्ष्मी नारायण मित्तल, मुरैना, मध्य प्रदेश ज्ञानतत्व 43280

अनेक विद्वान कहते हैं कि हिंदू धर्म या संप्रदाय न होकर एक जीवन शैली है। प्रायः हर व्यक्ति कहता है कि उसका संप्रदाय सर्वोपरि है। असल में आध्यात्म का विरोध परस्पर भिन्न शाखाओं से न होकर सांसारिकता से होना चाहिए। आध्यात्म हमें निर्मल करता है,। हम सदाचारी बनते हैं, श्रेष्ठ आचरण की आकांक्षा करते हैं।

इसी दृष्टि से शंकराचार्य और साईं बाबा के विवाद को तूल नहीं देना चाहिए। शंकराचार्य जी ने क्या कहा और उन्हें क्या नहीं कहना चाहिए इस विवाद से यदि हमारी आस्था टिकी है तो क्या हम सच्चे साईं भक्त हैं? या कोई सच्चा साईं भक्त शंकराचार्य जी का पुतला फूंकेगा? क्या हमारी आस्था इस पर टिकी है कि दूसरे हमारे आराध्य को क्या संबोधन देते हैं? आस्था, आराध्य और आराधक के बीच सह सम्बन्ध है। इसमें तीसरे की कोई गुंजाइश हीं नहीं है।

कोई भी धर्म यदि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करता है, हमें दूसरे से नफरत सिखलाता है, हमें उद्वेलित करता है, असभ्य और असामाजिक आचरण को प्रेरित करता है तो हम उस धर्म के अनुयायी नहीं हैं। नाम तो केवल प्रतीक है। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि एक हीं सत्य को विद्वान अलग–अलग परिभाषित करते हैं। यदि मैं तुलना करता हूं कि मेरा आराध्य दूसरे के आराध्य से बडा है या छोटा है, तो मैं धर्म के मूल तत्व को हीं नहीं समझ सका। कौन धर्म बैर करना सिखलाता है? यदि मेरे धर्म की धारणा आई.पी.सी. की धारणाओं से सुरक्षित नहीं हे तो मैं आध्यात्मिक नहीं हूं। राम और रहीम एक हैं या नहीं इससे क्या फर्क पडता है। पद और पदार्थ में नित्य संबंध नहीं है। यह संबंध तब तक है जब तक हम उसे वैसा स्वीकार करते हैं।

सभी संप्रदायों में बाहय आचरण प्रधान हो गया है। यह बाह्याचार तो आचरण है, आचरण के अंदर जो है वह हमारा आराध्य है। आजकल मीडिया भी ऐसी खबरों को हवा देने का काम करता है। तर्क– कुतर्क से टी.व्ही. चैनल पर इस विवाद पर बहस हो रही है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। हम बावजूद पाश्चात्य प्रभाव के आज भी सांसारिकता में ज्यादा लिप्त नहीं हैं। अपनी आध्यात्मिकता को सांसारिक तर्क कुतर्क की तराजू में ना तौलें।

कृपया दोनों शंकराचार्य जी के अनुयायी– संयम बरतें। यही धर्म का मर्म है।

7/2 डॉ भानूराम लखाना, 208 द्वारिकापुरी इन्दौर (म.प्र.) ज्ञानतत्व 40343

ज्ञान तत्न के 292 वे अंक में आपने व्यवस्था परिवर्तन का समर्थन किया है किंतु–

संसदीय प्रजातंत्र के रहते व्यवस्था में क्या और कैसे परिवर्तन हो सकता है? वोट न देने या सभी उम्मीदवारों को नकार देने से क्या लाभ होने वाला है? इससे तो स्थिति यह हो जाऐगी कि किसी एक राजनितिक दल को बहुमत नहीं मिलेगा– दो चार मतों के अभाव में बहुमत की ओर अग्रसर पार्टी का उम्मीदवार हार जायेगा और परिणाम होगा खिचडी सरकार जो न तो स्थिर होगी और न देश का हित कर पायेगी। मिली–जुली सरकार की सभी पार्टियां अपने–अपने राजनैतिक स्वार्थ में एक–दूसरे की टांग खींचेंगी।

व्यवस्था परिवर्तन का दूसरा मुद्दा 'राईट टू रिकॉल'' रखा जाये तो इसका परिणाम यह होगा कि रिकॉल करने वाले की जगह फिर से चुनाव कराना। तो क्या यह देश पर व्यर्थ का आर्थिक बोझ नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कितने रिकॉल वाले की जगह चुनाव कराना पडेगा?

तीसरा मुद्दा भी व्यवहारिक नहीं है क्योंकि संसद के समानान्तर लोक संसद की स्थापना से तो भीडतंत्र को हीं बढ़ावा मिलेगा, फिर लोक संसद की स्थापना कैसे की जाएगी? क्या वर्तमान के उत्श्रृंखल वातावरण में जहां लोगों में राष्टहित की भावना हीं नहीं है लोक संसद की स्थापना संभव है?

संसदीय प्रजातंत्र के रहते हुए उपर्युक्त प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन से क्या भ्रष्टाचार मिटेगा? क्या मंहगाई घटेगी? क्या वोट बैंक की राजनिति समाप्त हो जायेगी? व्यवस्था परिवर्तन ठोस और स्थायी होना चाहिए जो अध्यात्म से ही हो सकता है।

उत्तर– आप दोनों ने आध्यात्म को व्यवस्था परिवर्तन का अच्छा मार्ग बताया है किंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूं। व्यवस्था के निर्माण में व्यक्ति समूह की भूमिका होती है, अलग–अलग व्यक्तियों की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है किंतु जब उसका बुरा प्रभाव किसी अन्य पर प्रत्यक्ष रूप से पडता है तब उसके क्रियाकलाप को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था होती है। जो लोग स्वतः चरित्रवान होते हैं, उनके लिए किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं होता। व्यवस्था तो सिर्फ उन्हीं के लिए बनती हैं जो स्वतः ठीक से आचरण नहीं करते हैं। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं 1. जिनकी नीयत ठीक है नीति गलत 2. जिनकी नीयत खराब है भले हीं उनकी नीति ठीक हो या गलत। जो पहले प्रकार के लोग हैं उन्हें आध्यात्म सुधार सकता है किंतु दूसरे प्रकार के जो लोग हैं उन्हें सुधारने के लिए तो भय पैदा करना हीं एकमात्र माध्यम है। भय दो प्रकार से होता है एक समाज में बदनामी का भय 2. राज्य से दण्ड का भय। जो लोग समाज के भय से मान जाते हैं उन्हें दण्ड की आवश्यकता नहीं होती किंतु जो लोग न स्वतः मानते हैं न हीं समाज के भय से उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा दण्ड देना आवश्यक हो जाता है। ऐसे हीं अपराधी तत्व हैं जो आमतौर पर समाज में यह धारणा फैलाते हैं कि व्यक्ति सुधर जाएगा तो व्यवस्था सुधर जाएगी। जबकि सुधरे हुए व्यक्तियों के लिए न सामाजिक व्यवस्था होती है न प्रशासनिक। आध्यात्म के द्वारा चरित्र निर्माण समाज का काम है न कि प्रशासनिक व्यवस्था का। जो लोग प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से समाज सुधार अथवा चरित्र निर्माण की बात करते हैं वे भ्रम में रहते हैं क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। न आज तक राज्य के द्वारा चरित्र का निर्माण हुआ है। न भविष्य में हो सकेगा। हम जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं वह राजनैतिक संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन तक सीमित है। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के संबंध में हमारा कोई सुझाव नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि आप वोट न दें। हमारे आंदोलन का पहला मुद्दा परिवार, गांव, जिले को संवैधानिक अधिकार देने का हैं न कि वोट के बहिष्कार का ।

– **राईट टू रिकॉल** से आप को भय है कि बडी संख्या में रिकॉल होगा तथा बार– बार चुनाव कराने पडेंगे। आप जब राईट टू रिकॉल लागू कर देंगे तो शायद ही कभी इसका प्रयोग करना पडे । सांसद विधायक अपने आप भय से ठीक होकर चलने लग जायेंगे। आपने लोक संसद पर भी प्रश्न उठाया है इस संबंध में ज्ञान तत्व में कई बार लिखा जा चुका है। लोक संसद का निर्माण निर्दलीय आधार पर इसी प्रकार से होगा जिस तरह वर्तमान संसद किंतु लोंक संसद सिर्फ संविधान संशोधन के लिए हीं लोक का प्रतिनिधित्व करेगी। तंत्र के और सारे काम वर्तमान संसद करती रहेगी। तंत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान संसद करेगी तथा दोनों संसद मिलकर हीं संविधान संशोधन करेंगे। यदि दोनों के बीच में अंतिम रूप से कोई सहमति नहीं बन पायेगी तभी जनमत संग्रह होगा। यदि आप इससे कोई अच्छा सुझाव दे सकें तो हम स्वागत करेंगे। मैं सहमत हूं कि साईं और शंकराचार्य के विवाद को तूल नहीं देना चाहिए था किंतु दोनों गुटों ने चढावे की लाभहानि को तौलकर इस मुद्दे को तूल दिया। इस तूल को देनें में साईं भक्तों ने कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर हीं पहल की। जिस तरह दोनों गुटों के बीच व्यावसायिक विवाद है उसी तरह मीडिया भी एक व्यवसायिक संगठन है और इसलिए मीडिया से भी कोई अलग अपेक्षा रखना उचित नहीं है। यदि शरीर में घाव होगा और घाव खुला रहेगा तो मक्खियों का बैठना स्वाभाविक बात है।